है। [illegible] सुधार होकर नवीन
[illegible] होने तक लम्बित रखित
रखना है।

27/01/26

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

05/02/26 अभिभाषक/वादीगण द्वारा आदेश 09 R 9 CPC r.w.
151 CPC के अन्तर्गत/प्रतिवादीगण/अभिभाषक श्री विनोद जैन की उपस्थिति/लिखित उत्तर आदेश करते हुये सहमति से आदेश 09 R 9 CPC निरस्त किया। आदेश 09 R 9 CPC को 06 दिन कर दी जावे। मेरा अनुरोध का काल संतोषजनक होने से आदेश को स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पारित ex-parte order dated 27/1/2026 को set-aside किया जाता है। प्रकरण को restore किया जाता है। पत्रावली पर मिति लाइनवाइज दिनांक 06/02/26 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:17:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner